

1240 2019/2354608850

1207

भारतीय गैर न्यायिक

दो रुपये

TWO RUPEES

रु.2

Rs.2



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

02/3/19 26022019/2354608850
झारखण्ड JHARKHAND

निर्माण सं. 26022019/2354608850
सम - जेठना, पुर
की मारा 25 के
निर्माण सं. 26022019/2354608850
के अधीन



पति
पूर्णमा महथा

2/3
02/3/19
1000
277

मुलाबरी राय प्रसाद
रिफिक ता. न-15, 2009
मेदिनीनगर (पलामू)

01/AA/387847

श्री पूर्णिमा महथा 'Accepted Sale'

श्री पूर्णिमा महथा पारलार

पुनर्जाति के हजक इन्फो पपर वीन प्रो

जोर्ना रेडर का कालिका वि. स्का
26.02.2019.

1. लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता:-
पूर्णमा महथा पति स्व० सचिदानन्द प्रसाद सिन्हा जाति
कायस्थ, स्थायी निवास ग्राम जेलहाता गंगा स्टोर के पास,
पो० एवं थाना मेदिनीनगर, वर्तमान पता:-निवास
स्थान-ग्राम एवं डाकघर-चैनपुर, थाना-चैनपुर, जिला-पलामू
, राज्य-झारखण्ड, पेशा-खेती एवं गृहणी, नागरीकता-भारतीय।
आधार नं० 337914571052, वैन नं० AFBPM0895H मो० न०
9039898316

पुनर्जाति के हजक इन्फो पपर

जोर्ना रेडर का कालिका वि. स्का

26.02.2019.

पलामू 26/02/19

8-8-23
 26/02/2019
 26/02/2019



Romina Rastogi

26.02.2019

महिला सशक्तिकरण
 विभाग
 सिविल ला. न-15, 2007
 मेदिनीनगर (पिलानु)



Handwritten signature and name: Romina Rastogi

पुष्टिसा सह्या
 29. सापिदाव 9 न सिन्हा
 नाम
 धान
 जति
 नेवरा

Handwritten signature and name: Romina Rastogi

संयोजन पदाधिकारी

-2-

2. लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता:-

श्रीमति पुष्पा देवी पति श्री रामप्रवेश राम, कायम जाति-अनुसूचित जाति(चमार), निवास स्थान ग्राम छपरदागा डाकघर-मिखही, थाना-डंडा, जिला-गढ़वा, पेशा- गृहणी राज्य-झारखण्ड -नागरीकता -भारतीय। आधार नं० 712145208481, मो नं० 9934241731

3. लेख्यप्रकार-केवाला वयला कलामी(निर्विवाद विक्रय पत्र)

4. (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य- मो० 2,40,500/रु० (दो लाख चालिस हजार पांच सौ रुपया) मात्र।

(ख) देय मूल्य - मो० 4,95,000/रु० (चार लाख पनचानबे हजार रुपया) मात्र।

आवासीय दर-मो० 80100 रुपये प्रति डी०

5. सम्पत्ति-मवाजी 03 डी० (तीन डी०) डी० जमीन परती टॉड खाली जमीन वास्ते गृह निर्माण के लिए भूखण्ड भूमि अन्दर वाके मौजा गुरहा, थाना चैनपुर, जिला पलामू में हकियत कारस्त रैयती मौरुषी सौहरी हक हासिल है । जिसपर कायम एवं काबिज दाखिल चली आ रही है। डिमांड बिक्रेता के नाम से पेज नं० 108/2 में चल रहा है तथा ऑनलाईन में वर्तमान भाग दो पृष्ठ सं० 93 अंकित है।

श्रीमति पुष्पा देवी
सं० पुष्पा देवी
26.02.2019

श्रीमति पुष्पा देवी
सं० पुष्पा देवी
26/2/19

यह जमीन सी0एन0टी एक्ट से मुक्त है। तथा किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है। जमीन बिक्री के प्रमाण में नक्शा की एक प्रति इस दस्तावेज के साथ संलग्न है। जिसमें जमीन बिक्री को लाल रंग से दिखलाया गया है। जो इस दस्तावेज का अविभाज्य अंग वो अंश है। पार्ट प्लॉट पार्ट होल्डींग जमीन अपने हिस्से का बिक्री करती है। सब रजिस्ट्री वो जिला रजिस्ट्री ऑफिस मेदिनीनगर जिला पलामू।

बिक्रय भूमि का विवरण:

थाना न0	तौजी न0	खेवट न0	हल्का न0	मौजा
114	51	01	आवासीय	गुरहा
खाता न0	प्लॉट न0	रकबा	वर्तमान चौहदी	
07(सात)	151/220 (एक सौ एकवान बट्टा दो सौ बीस) में	03 डी0	उत्तर- खुशबु कुमारी हाल क्रेता दक्षिण- बिक्रेता नीज पूरब-10 फिट चौड़ा रास्ता पुर्व से पश्चिम-प्लॉट नं0 152 का अंश	

1 1 03 डी0 तीन डी0 जमीन बिक्री करते है।

जमीन का पैमाईस:-

उत्तर तरफ पुरब से पश्चिम 35.6 फीट

दक्षिण तरफ पुरब से पश्चिम 29.3 फीट

पूरब तरफ उत्तर से दक्षिण 40.6 फीट

पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण 40.6 फीट

Premiera Patta 2002 विभाजन
26.02.2019

नाम- उज्ज्वला कुमारी
21/12/2019
26.02/19

वार्षिक लगान— अनुमानित मोबलिंग 3.00/-— तीन रूपये
अलावे शेष।

नाम मालिक—झारखण्ड सरकार बजरीय अंचल
पदाधिकारी, चैनपुर, जिला पलामू

विदित हो कि लेख्यकारी की जमीन अंदर बांके मौजा
गुरहा थाना चैनपुर जिला पलामू में हकियत रैयती मौरुषी
सौहरी हक हासिल है। जो आपसी बंटवारा से बंटकर बिक्रेता
को मिला है जिसपर काबिज दाखिल चली आ रही है।

यह जायदायद पूर्व सर्वे खतियान में पूर्वज स्व० गनौरी
लाल के नाम से खतियान दर्ज है। बिक्रेता इन्हीं के वंशज में
बहू है जिसे अपने सौहर स्व० सचिदानन्द प्रसाद सिन्हा कि
मृत्यु के पश्चात अपने गोतिया में हिस्सेदारों से बंटकर अकेला
हिस्सा में प्राप्त है जिसका संकेत बंटवारा नक्शा में सी० हिस्से
की जमीन को हरा रंग से दिखलाया गया है जिसे आपसी
बंटवारा में खाता नं० 7 प्लॉट नं० 151 को 151/सी रकबा
99 डी० और प्लॉट नं० 220 का 220/सी रकबा 32 डी०
कुल रकबा 1-31 डी० एक एकड़ एकतीस डी० जमीन प्राप्त
है। जबकि खाता नं० 7 में प्लॉट नं० 151 का पूरा रकबा
2-97 डी० प्लॉट नं० 200 का पूरा रकबा 96 डी० दर्ज है।
जो कुल रकबा तीन एकड़ तीरानबे डी० का एक बट्टा तीसरा
हिस्सा बिक्रेता की हिस्से की है। जिसका मांग पंजी दो में
डिमाण्ड अंचल पदाधिकारी चैनपुर द्वारा प्लॉट नं० 151/सी
और प्लॉट नं० 151/200 दर्ज कर डिमाण्ड खोला गया है।
तथा इसी तरह राजस्व रसीद भी बिक्रेता प्राप्त करते आ रहे
है। बंटवारा तीन खण्डों में ए.बी.सी. करके किया गया है।
जिसका याददास्त बंटवारा 25.05.1996 ई० है। बंटवारा नक्शा
में खण्ड ए लाल रंग अशोक कुमार सिन्हा खण्ड बी नारंगी
रंग केदार लाल खण्ड सी रंग हरा पुर्णिमा महथा को
दिखलाया गया है। जिस पर सभी हिस्सेदारों का हस्ताक्षर
किया हुआ है।

Subarna Mahata Sanjivani
26.02.2019

चुंकि इस वक्त लेख्यकारी को रुपयों का सख्त जरूरी वास्ते बनाने पक्का का मकान आवासीये का है। जिसमें अधिक रुपयों की आवश्यकता है, जो बिना बिक्री किये उपरोक्त वर्णित भूमि के रुपयों का खास अपना जेब या अन्य जरीया द्वारा प्रबन्ध कर पाना नामूमकीन है।

लिहाजा लेख्यकारी ने उपरोक्त वर्णित भूमि को बिक्री के लिए प्रचार वो प्रसार किया तो खाना नं० 2 दो वसिका हाजा की क्रेता भवन निर्माण कर रहने के लिए सभी तरह से सुविधाओं को देखते हुए निरीक्षण करने के पश्चात पसन्द कर दोनों पक्षों में खरीद बिक्री का मूल्य मोबलिंग 4,95,000/रु० (चार लाख पनचानबे हजार रुपये) में तय पाया और इसी मूल्य पर खरीद बिक्री का मामला तय भी हो चुका जो वाजीब और अधिकतम मूल्य होता है और न दीगर ही सख्स इससे अधिक मूल्य दे सकता है।

इसलिए खाना सं० पांच की वर्णित भूमि को संचित और अधिकतम मूल्य देखते हुए बिक्री किया एवं केवाला बिक्रय पत्र लिखा तथा सभी तरह के कुल अधिकार जो कुछ था या आइन्दे होता सो सब समेत आज से ही क्रेता तथा इनके वारीसान को ज्यों का त्यों हस्तान्तरित किया। अब इसमें किसी प्रकार का कोई उजुर दावी बिक्रेता या इनके किसी भी अपना या अन्य वारीसान को नहीं है न आइन्दे रहा। अगर भविष्य में होगा भी तो इस बिक्रय पत्र दस्तावेज के सामने सरासर नाजयाज और गैलत साबित होगा।

अब क्रेता को चाहिए कि उपरोक्त सम्पति पर खुदमय वारीसान काबिज दाखिल रहकर जिस कदर हो मकान निर्माण करें स्वयं रहे या किराये पर लगावे या कूप- इनारा तालाब बनावें या बाग बागीचा लगावें गाने जैसे भी हो जिस कदर हो

Greening Jee Hala
सं० २०११/२६१

26.02.2019

लाभ उठावें, उपयोग व उपभोग करें। साथ-साथ इस दस्तावेज को अंचल कार्यालय चैनपुर द्वारा अपने नाम का दाखिल खारीज करा लें वो भी वार्षिक लगान साल व साल अदाय कर अपने नाम से राजरव रशीद प्राप्त कर लिया करें। रूपया मुल्य का बिक्रेता क्रेता से जमीन रजिस्ट्री के पूर्व ही कई किस्तों में वसुल पा चुके। अब बाबत मुल्य का कुछ भी पाना बाकी जिम्मे क्रेता के पास नहीं है ना भविष्य में रहा।

बिक्रेता ने क्रेता को यह यकीन और विश्वास दिलाया है कि खाना सं० पांच की वर्णित भूमि बिल्कुल पाक वो साफ विवाद रहित है, इस पर किसी प्रकार का कोई ऋण भार सरकारी या गैर सरकारी नहीं है और न इसे बन्धक गिरवी या अन्य कोई मामला लिखित या मौखिक किसी अन्य व्यक्ति या अन्य कोई संस्था के साथ क्रेता के अलावे नहीं किया है। अगर किसी प्रकार का कोई नुस्ख, दखल-कब्जा या संवैधानिक अधिकार में त्रुटि पायी जाती है तो उसकी भरपाई करने का वो भी क्रेता को क्षति की पूर्णतः पूर्ति करने की जिम्मेवारी बिक्रेता स्वयं अपने उपर लेती है।

इसलिए बिक्रेता अपना सभी तरह के नफा वो नुकसान को अच्छी तरह से सोच समझ वो बुझकर वखुशी राजी अपनी मन तथा शरीर की स्वच्छता एवं स्वस्थता से बिना किसी दीगर सख्त के डराने -धमकाने वो फुसलाने वो भी बिना दिये दबाव के अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए लेख्यधारी का केवाला बिक्रय पत्र लिख दिया कि वरख्त पर काम आवे वो भविष्य में जमीन हस्तान्तरण का स्थायी प्रमाण रहे।

Rajivendra Maheta is registered

26.02.2019